15/2/23 उभयपक्ष प्रार्थी अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई उभयपक्ष प्रार्थी अथवा प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। उभयपक्ष प्रतिवादी 1, 2 भी अनुपस्थित। शेष प्रतिवादीगण की तलबी के नोटिस भी अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए है। न्यायालय समाप्ति से पूर्व एक बार पुन: आवाज लगवाई गई। उभयपक्ष प्रार्थी अथवा प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अत: प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पत्रावली 151/2018 के साथ संलग्न की जावे।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner